प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 52 / 2023

अनवान : –

1. अमीलाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. ईन्द्राज पुत्र लालचन्द जाति जाट साकिन ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर।
2. गोपाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर।
3. सावित्री पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर।
4. शाखा प्रबन्धक महोदय आई0डी0बी0आई0 बैंक शाखा चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान

काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 23.05.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 16 / 19 की कुल 9.4720 हैक्ट प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है यानि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। इसलिए वादी एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार है तथा वादी अपना हक हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रतिवादीया स0 3 जो की वादी एवं प्रतिवादी स0 2 की बहिन है व प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:23:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के दावा स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री

किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में पुरानी व नयी जमाबंदी, सदस्य प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी स0 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया स0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 16/19 की कुल 9.4720 हैक्ट प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया स0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 16/19 की कुल 9.4720 हैक्ट प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 तीनों को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 23/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–दीपलाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:23:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 52/2023
अनवान : –

1. अमीलाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. ईन्द्राज पुत्र लालचन्द जाति जाट साकिन ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर।
2. गोपाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर।
3. सावित्री पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर।
4. शाखा प्रबन्धक महोदय आई0डी0बी0आई0 बैंक शाखा चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 52 सन 2023 निर्णय दिनांक 23.05.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 16/19 की कुल 9.4720 हैक्ट प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 तीनों को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक....23/5/23....को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–दीपलाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:23:08 IST
Reason: SelfAttested